न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–19/2017/टोंक (2017/00027)

1. लादू पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सेदरी गुजरान, तहसील उनियारा, जिला टोंक ।

अपीलांट

बनाम

1. कानी पत्नी कन्हैयालाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सेदरी गुजरान, तहसील उनियारा, जिला टोंक ।
2. तहसीलदार, उनियारा, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा दिनांक 15.2.2017 अंतर्गत आदेश क्रमांक 112/2017.

उपस्थितः–

1. श्री घनश्यामसिंह रावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री गिरशी शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांक :– 31.5.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.2.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं । xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 26 रकबा 1.25 है0 भूमि वाकै ग्राम इब्राहीमगंज, तहसील उनियारा बाबत् एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उनियारा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कर कब्जा दिलाया जावे । अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 15.2.2017 द्वारा तहसीलदार, उनियारा को रेस्पो0 संख्या 1 की भूमि की पत्थरगढ़ी कर कब्जा दिलाये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने सर्वप्रथम धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये है । अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 15. 2.2017 से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होते है । अपीलांट अपीलाधीन आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.2.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे । xx

4- प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 की उक्त वर्णित भूमि के लगते हुए प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 380 वाकै ग्राम कोटड़ी स्थित है । अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 की कृषि आराजियात ग्राम कोटड़ी व ग्राम इब्राहीमगंज की सीमाओं पर स्थित है, जिसको लेकर अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 के मध्य विवाद चल रहा है । अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा कई बार अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराया जा चुका है किन्तु पक्षकारान संतुष्ट नहीं है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी की तरफ पक्की दीवार बना रखी है जिसे बने हुए काफी अरसा हो चुका है । रेस्पो0 संख्या 1 का यह कथन है कि अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 1 की भूमि के कुछ भू–भाग पर नाजायज कब्जा कर रखा है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि यदि यह मान भी लिया जावे कि रेस्पो0 संख्या 1 की भूमि के कुछ भाग पर अपीलांट ने कब्जा कर लिया है तो भी रेस्पो0 संख्या 1 पत्थरगढ़ी के माध्यम से अपीलांट को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल नहीं कर सकता है । अधी0न्याया0 ने अपने क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के सिविल पिटीशन संख्या 1640/2016 का हवाला देते हुए रेस्पो0 संख्या 1 को पत्थरगढ़ी कर कब्जा दिलाये जाने का आदेश तहसीलदार, उनियारा को दिया है जो पूर्णतया विधिविरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने वास्तविक तथ्यों की जांच किये बिना एवं अपीलांट जो कि हितबद्ध पक्षकार था, को सुने बिना आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजी का क्रेता है और जिन खातेदारान द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 को भूमि विक्रय की गई है, उनके और अपीलांट के मध्य पहले मुकदमेबाजी चली है और उसमें अपीलांट के हक में न्यायालय द्वारा डिक्री पारित कर पाबंद किया जा चुका था तथा उक्त निर्णय के अनुसार सीमाओं

को नष्ट नहीं करने के आदेश जारी किये हुए है जो आज भी प्रभावी है। रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त तथ्यों को छिपाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कराया है । xx

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । आराजी खसरा नंबर 26 रकबा 1.25 है0 का सीमाज्ञान सैटलमेंट व तहसीलदार द्वारा करवाया जा चुका है तथा उक्त आराजी में सीमाज्ञान करते समय रेस्पो0 संख्या 1 से चीरे मंगवाये गये थे किन्तु सीमाज्ञान करते समय अपीलांट ने चीरे नहीं गाढ़ने दिये । रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेशों की पालना में पत्थरगढ़ी कर कब्जा दिलाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसकी पालना में अधी0न्याया0 ने पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये है तथा अधी0न्याया0 के उक्त आदेश दिनांक 15.2.2017 की पालना में तहसीलदार द्वारा दिनांक 31.1.2018 को पत्थरगढ़ी की जाकर पालना की जा चुकी है जिससे प्रस्तुत अपील सारहीन हो चुकी है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश की पालना में रेस्पो0 कानी द्वारा पत्थरगढ़ी कर कब्जा दिलवाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अपीलांट लादू द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में अपील पेश की जो दिनांक 8.3.2017 को खारिज की जाकर अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखा गया था । फर्द पर्चा मौका दिनांक 31.1.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज0उच्च न्यायालय, जयपुर के प्रकरण संख्या 76/2017 उनवानी प्रकरण खानी बनाम हजारी वगैरह निर्णय दिनांक 15.12.2017 की पालना में आराजी नंबर 26 का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की गई जिसमें आराजी खसरा नंबर 27 की पूर्वी मेड़ का सीमाज्ञान कर पुख्ता की गई । खसरा नंबर 27 उत्तर–पूर्वी कोने से जरीब चला कर खसरा नंबर 26 की पूर्वी मेड़ पुख्ता की गई तथा लगातार जरीब चलाकर खसरा नंबर 26 का उत्तर–पश्चिम कोना कायम किया गया है । मौके पर दोनों पक्षों को पाबंद किया गया कि सीमाघोतक चिन्हों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगे । पर्चा मौके पर विपक्षी हजारी वगैरह ने हस्ताक्षर करने से इंकार किया । उक्त मौका पर्चा से यह स्पष्ट है कि मान0 राजस्थान उच्च न्यायाल, जयपुर के निर्णय दिनांक 15.12.2017 की पालना में मौके पर पत्थरगढ़ी की जा चुकी है । इसलिये प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अपास्त योग्य पायी जाती है ।

1- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.2.2017 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 19/2017 (2017/00027) बउनवानी लादू बनाम कानी को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.2.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 31.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर